न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दूदू , जिला राज0

पीठासीन अधिकारी – रतनलाल योगी आर0ए0एस0

मुकदमा संख्या – 02/2022

अर्न्तगत धारा – खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 नियम 2011

निर्णय दिनांक – 05.02.2024

सरकार जरिये विनोद कुमार शर्मा खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जयपुर राज0

प्रार्थी–आवेदक

बनाम

1. विरेन्द्र श्रीवास्तव पुत्र गिरिश चन्द श्रीवास्तव,
   नॉमिनी मैसर्सः– इमामी एग्रोटेक लि0, ग्राम चान्दरमूल, पोस्ट गिदानी, तहसील मौजमाबाद।
2. मैसर्सः– इमामी एग्रोटेक लि0, ग्राम चान्दरमूल, पोस्ट गिदानी, तहसील मौजमाबाद।

अप्रार्थी–अभियुक्त

उपस्थित अधिवक्ता – आर.एस.मण्डावरी

अर्न्तगत धारा 52, धारा 26(2) (।।) एफएसएस एक्ट 2006

निर्णय

परिवाद अर्न्तगत धारा 52, धारा 26(2) (।।) एफएसएस एक्ट 2006

सरकार जरिये विनोद खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जयपुर राज0 द्वारा पेश किया गया। जिसका सार निम्नानुसार है–

1. यह है कि परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी का गजट नोटिफिकेशन दिनांक 09.11.2011 के गजट में भाग 1 (क) पर प्रकाशित हुआ है एवं निदेशालय के आदेश कमांक एच/एफएसएसए/नोटिफिकेशन/2011/698 दिनांक 16.11.11 द्वारा केन्द्रिय दल, कार्यालय आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, राजस्थान जयपुर में पदस्थापित है। परिवादी का स्थानीय क्षेत्र समस्त राजस्थान राज्य का है जिसका गजट नोटिफिकेशन दिनांक फरवरी 10, 2012 के गजट में भाग 2(क) पर प्रकाशित हुआ है। अधिसूचना एवं आदेश की फोटो प्रतियॉ आवेदन के साथ संलग्न है।

2. यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 22.12.2020 को समय 02.45 पी. एम. पर मैसर्स इमामी एग्रोटेक लि0, खसरा नम्बर 615/44, 616/50 ग्राम

अति. जिला कलक्टर
दूदू

Scanned with OKEN Scanner

चान्दरमूल, पोस्ट गिदानी, तहसील मौजमाबाद पर पहुँचा, वहॉ पर श्री विरेन्द्र श्रीवास्तव पुत्र गिरीश चंद श्रीवास्तव मिले, श्री विरेन्द्र श्रीवास्तव को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा पूछने पर श्री विरेन्द्र श्रीवास्तव ने स्वयं को मैसर्स इमामी एग्रोटेक लि0, खसरा नम्बर 615/44, 616/50 ग्राम चान्दरमूल, पोस्ट गिदानी, तहसील मौजमाबाद का खाद्य कारोबारकर्ता एवं नोमिनी होना बताया। वास्ते निरीक्षणार्थ खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञा पत्र दिखाया।

3. यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा संस्थान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु कच्ची घानी मस्टर्ड ऑइल (इमामी) की 1 लीटर के 177765 पाउच गत्ता पैक कार्टनों में रखे थे, जिसके अमानक एवं मिथ्याछाप का शक होने पर 1 लीटर के 04 पाउच कच्ची घानी मस्टर्ड ऑइल (इमामी) खाद्य कारोबारकर्ता एवं नॉमिनी श्री विरेन्द्र श्रीवास्तव को सूचित करते हुए वास्ते नमूना जॉच खरीदे, जिसकी कीमत श्री विरेन्द्र श्रीवास्तव को 500/- रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं नॉमिनी के हस्ताक्षर है। तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। खरीद रसीद मूल संलग्न परिवाद है।

4. यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म संख्या 5 ए की प्रतियां तैयार कर खाद्य कारोबारकर्ता एवं नॉमिनी तथा गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे श्री विरेन्द्र श्रीवास्तव एवं गवाहान ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकानी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म सं. 5 ए की एक प्रति खाद्य कारोबारकर्ता एवं नॉमिनी श्री विरेन्द्र श्रीवास्तव को देकर असल पर रसीद प्राप्त की । फार्म सं. 5 ए मूल संलग्न परिवाद है।

5. यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा कच्ची घानी मस्टर्ड ऑइल (इमामी) की 1 लीटर की 04 पाउच पर लेबल तैयार कर चिपकाये और लेबलों पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय के कोड एवं क्रमांक एएंन-2003 दर्ज किया, प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं खाद्य कारोबारकर्ता एवं नॉमिनी तथा गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारों नमूना भागों को अलग-अलग पैक कर खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी जयपुर द्वितीय की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. ए.एन.-2003 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपका कर प्रत्येक भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक भाग पर खाद्य कारोबारकर्ता एव नॉमिनी के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें। चारों नमूना भागों के रैपर पर गवाहन के हस्ताक्षर करवाकर सील बन्द चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया।

6. यह है कि मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर खाद्य कारोबारकर्ता एवं नॉमिनी तथा गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे विरेन्द्र श्रीवास्तव एवं गवाहान ने भी पढकर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। रिपोर्ट मूल संलग्न परिवाद है।

7. यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं0 6 की छः प्रतियॉ तैयार की ओर प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर अगले कार्य दिवस में खाद्य विश्लेषक जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो आवेदन के साथ संलग्न है। दो फार्म सं0 6 की प्रति अलग से

अतिरिक्त जिला कलक्टर
दूदू

एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक जयपुर को जमा कराकर फॉर्म सं0 6 की पुश्त पर रसीद प्राप्त की जो आवेदन के साथ संलग्न है। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फॉर्म सं. 6 की दो प्रतियों एवं चौथा भाग मय फार्म संख्या 6 की एक प्रति के आउटर कवर में सील बंद कर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय को अगले कार्य दिवस में जमा कराकर रसीदें प्राप्त की जो आवेदन के साथ संलग्न है।

8. यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वितीय के पत्रांक 11 दिनांक 21.01.2021 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/2507/एक्ट/2020/41 दिनांक 04.01.2021 के अनुसार खाद्य कारोबारकर्ता एवं नॉमिनी द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ कच्ची घानी मस्टर्ड ऑइल (इमामी) मिस ब्राण्डेड होना पाया गया। जांच रिपोर्ट मूल आवेदन के साथ संलग्न है।

9 . यह है कि मैसर्स इमामी एग्रोटेक लि0 द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 24.12.2020 के द्वारा नमूने के चतुर्थ भाग को Accredited Laboratory (Jagdamba Laboratories) से जॉच करवाने हेतु जॉच शुल्क जमा कराने की रसीद के साथ आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अनुरोध किया गया। जो आवेदन के साथ संलग्न है।

10. यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मैसर्स इमामी एग्रोटेक लि0 से प्राप्त प्रार्थना पत्र दिनांक 24.12.2020 के क्रम में पत्र दिनांक 11.01.2021 के द्वारा श्रीमान् अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर द्वितीय से नमूने के चतुर्थ भाग को पत्र वाहक के साथ मंगवाकर, उक्त नमूने को जांच हेतु Accredited Laboratory (Jagdamba Laboratories) भिजवाकर प्राप्ती रसीद ली। अभिहित अधिकारी एवं Accredited Laboratory को भिजवाये गये पत्र आवेदन के साथ संलग्न है।

11. यह है कि मैसर्स Jagdamba Laboratories ने पत्र दिनांक 20.01.2021 द्वारा अवगत करवाया कि उनकी लैब के एफएसएसआई एक्ट में दिये गये मापदण्ड जांचने हेतु एफएसएसआई से मान्यता प्राप्त है, लेबल जॉच उनकी लैब के एनएबीएल स्कोप में नहीं होने के कारण लेबल की रिर्पोट उपलब्ध करवाया जाना संभव नहीं है। पत्र के साथ संलग्न जांच रिर्पोट कमांक JLFD210112033/A दिनांक 20.01.2021 के द्वारा उक्त नमूना गुणवत्ता की जॉच में मानक स्तर का होना पाया गया। जिसके फलस्वरूप खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट सं. एल. एस./2057/एक्ट/2020/41 दिनांक 04.01.2021 के अनुसार उक्त नमूना मिसब्रांड की श्रेणी में है।

12. यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने आयुक्त खाद्य सुरक्षा के आदेश दिनांक 21.8.2019 के क्रम में समस्त कागजात श्रीमान अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर द्वितीय को प्रस्तुत किये जिन्होने पत्र कमांक 318 दिनांक 24.11.2021 के द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस में अभियोजन संस्थित करने हेतु अधिकृत किया है।

13. यह है कि उक्त प्रकरण में अभियुक्तगण ने खाद्य पदार्थ कच्ची घानी मस्टर्ड ऑइल (इमामी) मिसब्राण्डेड का विक्रय करके F.S.S.A. 2006 की धारा 3(1)(zf)(c)(i)(As No Cholesterol, MUFA & ALA&Omega 3 help reduce risk of heart disease, reduce Cholesterol, Vitamin D Helps improve bone helth high in natural omega 3. Given on the lable of sample is an

कार्यालय जिला कलक्टर
दक्ष

exaggeration of the quality of the products. Contravention of Regulation No.2.4.2(1)of FSS Packagiong and Labelling Regulation 2011.) धारा 26(2) (i i) का उल्लघंन किया है जिसका जुर्माना एफ.एस.एस.ए. 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है के तहत जुर्माना हेतु परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा परिवाद मय वर्णित दस्तावेजात व सूची गवाहान के इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

उक्त आशय का परिवाद प्रस्तुत होने पर नियमानुसार दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस जारी करते हुए साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। अप्रार्थी द्वारा जरिये अभिभाषक जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि अभियुक्त अप्रार्थी द्वारा खाद्य सुरक्षा ओर मानक एफ.एस.एस.ए. 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 का कोई उल्लघंन नहीं किया। खाद्य विश्लेषक द्वारा लेबल का अवलोकन पूरी तरह से नहीं किया गया। जॉच रिपोर्ट अधूरी है। इसलिए परिवाद को निरस्त कर अभियुक्त को परिवाद से मुक्ति दिलाई जावें।

प्रकरण में अप्रार्थी वकील की बहस सुनी गयी। दौराने बहस अप्रार्थी अधिवक्ता ने जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही निर्धारित मापदण्डों व प्रकिया के अनुरूप नहीं होने का कथन किया।

हमने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र, दस्तावेजी साक्ष्यों तथा अप्रार्थी के जवाब प्रार्थना पत्र, नजीरों का अवलोकन एवं बहस का मनन कर इस निष्कर्ष पर पहुंचते है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अप्रार्थी के प्रतिष्ठान पर उपलब्ध खाद्य सामग्री में गुणवत्ता की कमी के अंदेशे से की गई कार्यवाही नियम एवं प्रकियानुसार की गई है। स्टेट सेन्ट्रल पब्लिक हेल्थ लेबोरेट्री, जयपुर (राज0) की जॉच रिपोर्ट क्रमांक एल. एस./2507/एक्ट/2020/41 दिनांक 04.01.2021 की रिपोर्ट अनुसार अप्रार्थी द्वारा विक्रय के उद्देश्य से रखे खाद्य पदार्थ कच्ची घानी मस्टर्ड ऑइल (इमामी) मिसब्राण्डेड होना पुष्ट होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन से यह सिद्ध होता है कि अप्रार्थी विरेन्द्र श्रीवास्तव नॉमिनी मैसर्स इमामी एग्रोटेक लि0 वक्त निरीक्षण जब्त किया गया मस्टर्ड ऑइल का मिसब्राण्डेड का पाये जाने से अप्रार्थी द्वारा मिसब्राण्डेड खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(zf)(C)(1) धारा 26(2) (i i) का उल्लघंन किया है जिसका जुर्माना एफ.एस.एस.ए. 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 के अन्तर्गत निर्धारित जुर्माना प्रावधान के तहत अप्रार्थी संख्या 2 पर राशि 25000/रू. अक्षरे पच्चीस हजार रू. मात्र की शास्ति आरोपित की जाती है। अभियुक्त अप्रार्थी शास्ति राशि जरिये चालान जमा करा कर चालान की एक प्रति निर्णय दिनांक के एक माह के अन्दर–अन्दर इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। निर्धारित अवधि में शास्ति की राशि जमा नहीं कराने पर प्रार्थी से कार्यालय द्वारा नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावे/लाइसेंस स्थगित किये जावें।

निर्णय आज दिनांक 26.02.2024 को सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो व नम्बर से कम हों।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर
दूदू

अतिरिक्त जिला कलक्टर
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
दूदू

Scanned with OKEN Scanner